

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश  
भोपाल

दिनांक :- 29/09/2016

// महत्वपूर्ण सूचना //

नीट (यू0जी0)-2016 की मेरिट के आधार पर की जा रही काउंसिलिंग के लिए आज दिनांक 29.09.2016 सायं 04.00 बजे संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जबलपुर से दूरभाष पर सूचित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर मध्यप्रदेश द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 640/2016 दिनांक 28.08.2009 में पारित निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा निरस्त करते हुए दिनांक 28.09.2016 को रोकी गई निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की काउंसिलिंग को तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 29.09.2016 को पुनः शुरू करने का निर्देश दिये गये हैं।

संचालक,  
चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश, भोपाल